राजस्व वाद अन्तर्गत धारा आदेश 53, 88 राज. काश्त. अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री विरेन्द्र सिहाग	— — वादी
2.	श्री मोहनलाल सहारण	— — प्रतिवादी 1, 3, 4
3.	श्री अनित जोशी	— — प्रतिवादी 2, 6 ता 11
4.	श्री भगत सिंह जाखड़	— — प्रतिवादी 5
5.	पैरोकार राज	— — प्रतिवादी 12

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

दिनांक :—26.09.2019

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 14 व 15/2 व 16 ता 25 कुल 5.617 हैक्टेयर नहरी मय खाला यानि 22.10 बीघा, मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 2.405 हैक्टेयर नहरी मय खाला, मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं0 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 1 ता 4 कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के दादा मघा राम की थी जो उन्हें उनके पूर्वजों से ही आयी थी और वादी का भी इसमें अपने भाईयों कृष्ण कुमार, प्रेम सुख व श्योनारायण के साथ बहिस्सा बराबर हिस्सा है। नकल जमाबंदी शामिल वाद पत्र है। वादी भाईयों में सबसे छोटा है और परिवार के बड़े भाई प्रति0 सं0 1, 2 व 3 का पति स्वः प्रेम सुख कर्ता थे और उन्होंने उपरोक्त 19 एल एन पी के मु0 नं0 12 की 6.325 हैक्0 भूमि के सम्बंध में एक दस्तावेज दिनांक 20—01—1959 के द्वारा अपने नाम से करवा ली। जबकि इस जमीन में वादी का भी बहिस्सा बराबर हक था और यह दस्तावेज दिनांक 20—01—1959 वादी के हकों के सामने प्रारम्भ से ही शून्य है। वादी अपने भाईयों पर पूर्ण विश्वास करता था और उसके हक व हिस्सा को सुरक्षित रहने का आश्वासन प्रतिवादीगण उसके भाई हमेशा देते रहे और इसकी उपज में भी हकरसी करते रहे जिस कारण से वादी को अपने भाईयों व परिवार पर पूरा विश्वास था कि वो उक्त वादाधीन भूमि में उसके हिस्सा की जमीन उसके नाम करवा देगे। उपरोक्त वादाधीन भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा है तथा प्रारम्भ से ही अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी अनुसार घरेलू बंटवारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने किया हुआ है तथा उसी अनुसार सदामत से ही अपने—अपने हिस्सा पर काबिज व काश्त है जो कि निम्नांकित है :—

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी राम सिंह का हिस्सा :–

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 1 4 कुल 2.961 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 कुल 0.962 हैक्टेयर नहरी वादी राम सिंह के हिस्सा में है।

प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण का हिस्सा :–

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0 9 के किला नं015/2, 16 ता 25 कुल 2.6 56 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 1 ता 4 कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण का हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का हिस्सा :–

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 1 2 के किला नं0 16 ता 25 कुल 2.53 0 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15 कुल 1.443 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 रज्जो देवी व प्रतिवादी संख्या 4 कमलदीप (मृतक प्रेमसुख के वारिसान) का हिस्सा :–

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं0 1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 3 रज्जो देवी व प्रति0 संख्या 4 कमलदीप का बहिस्सा बराबर–बराबर है।

इस प्रकार से वादी उक्त वादाधीन भूमि में अपना 1/4 हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वादी ने उपरोक्त बात अपने भाईयों व अपने स्वर्गीय भाई के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को कई बार कहीं लेकिन वे उसे हमेशा उसके हिस्सा की जमीन उसके नाम करवाने हेतु आश्वासन देते रहे और टाल–मटोल करते रहे। उपज में हकरसी होते रहने के कारण वादी ने भी अपने परिवार प्रतिवादीगण पर विश्वास रखा। वादी ने जब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बार–बार कहा तो वह टाल–मटाले करते रहे और 7 रोज पूर्व उनके द्वारा इन्कारी की गई तो वादी को पूर्ण आभास हो गया है कि बिना वाद लाये वादी को हक व हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, यही वाद हेतुक वादी को प्राप्त हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 को उक्त वादाधीन भूमि में सहखातेदार होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है, परन्तु उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राज.) * श्रीगंगानगर *

वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादा स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

(क) डिक्री वादी के पक्ष में इस आश्य की पारित की जावे कि वाद पत्र में अंकित पैरा संख्या 6 के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हिस्से की घोषणा की जावे जो निम्नांकित है :–

<u>वादी राम सिंह का हिस्सा :</u>

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 1 4 कुल 2.961 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 कुल 0.962 हैक्टेयर नहरी वादी राम सिंह के हिस्सा में है।

<u>प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण का हिस्सा :</u>

चक 1 9 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0 9 के किला नं0 15/2, 16 ता 25 कुल 2.6 56 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 1 ता 4 कुल 1.0 1 2 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण का हिस्सा है।

<u>प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का हिस्सा :</u>

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 1 2 के किला नं0 16 ता 25 कुल 2.53 0 हैक्टेयर नहरी व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 4 ता 7, 14 व 15 कुल 1.443 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण कुमार का हिस्सा है।

<u>प्रतिवादी संख्या 3 रज्जो देवी व प्रतिवादी संख्या 4 कमलदीप (मृतक प्रेमसुख के वारिसान) का हिस्सा:</u>

चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 1 2 के किला नं0 1 ता 1 5 कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी प्रतिवादी संख्या 3 रज्जो देवी व प्रति संख्या 4 कमलदीप का बहिस्सा बराबर–बराबर है।

(ख) अन्य अनुतोष जो वादी के हक में हो प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 12.09.2019 को स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसे तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 17.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 5 ता 11 का जवाब वाद पत्र बंद किया गया। दिनांक 23.09.2019 को पैरोकार राज द्वारा स्टेट की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी * श्रीगंगानगर (राज.) *

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर प्रस्तुत राजीनामा के कथनों का अवलोकन किया गया।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

""राजस्थान काश्तकार (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।""

अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया।

–:: आदेश ::–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है :–

राम सिंह का हिस्सा :– चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10 सालम एंव किला नं0 11 ता 14 में प्रत्येक में 17½–17½ बिस्वा (दक्षिणी हिस्सा 2½–2½ बिस्वा को छोड़कर) के कुल 2.835 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 कुल 0.962 हैक्टेयर नहरी इस प्रकार उपरोक्त दोनों मुरब्बाजात का कुल 3.797 हैक्टेयर राम सिंह के हिस्सा में है।

श्योनारायण का हिस्सा :– चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं0 9 के किला नं0 15/2, 16 ता 25 कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 17 के किला नं0 1 ता 4 कुल 1.012 हैक्टेयर एंव मु0नं0 9 के किला नं0 11, 12, 13, 14 के दक्षिणी हिस्सा पर प्रत्येक बीघा 2½–2½ बिस्वा कुल 10 बिस्वा नहरी मय खाला श्योनारायण का हिस्सा है।

कृष्ण कुमार का हिस्सा :– चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं0 16 ता 25 कुल 2.530 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

<u>रज्जो देवी व कमलदीप (मृतक प्रेमसुख के वारिसान) का हिस्सा</u> :– चक 19 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नं0 1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टेयर नहरी रज्जो देवी व कमलदीप का बहिस्सा बराबर–बराबर है।

पक्षकारान का एक टयूबवैल मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 1 में पश्चिमी उत्तरी कोने में लगा हुआ है, वह टयूबवैल चारों पक्षकारान का सांझा रहेगा इसका पानी चारों को बहिस्सा बराबर मिलेगा और खर्चा भी बहिस्सा बराबर रहेगा। यह टयूबवैल जिस ज़मीन पर है वह राम सिंह की है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 26.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर